

संख्या-06/एफ1-15/2026 श्र0सं0...

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक

उपेन्द्र प्रसाद (भा०प्र०से०),
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र सरकार के द्वारा Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer, 2021 के तहत Reimbursement of funds के रूप में उपलब्ध कराये गए राशि का BCF के माध्यम से मुख्य शीर्ष 2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम, लघु शीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास, उपशीर्ष-0405-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (विपत्र कोड 26-2230011120405) के अन्तर्गत विषयशीर्ष 31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में प्राप्त होने के पश्चात् कुल ₹ 14,40,000/- (रुपये चौदह लाख चालीस हजार) मात्र की व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र सरकार के द्वारा Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer, 2021 के तहत Reimbursement of funds के रूप में ₹ 14,40,000/- (रुपये चौदह लाख चालीस हजार) मात्र, मांग संख्या-64 (Ministry of Labour & Employment) के अंतर्गत Head of Account 2230.01.789.24.02.31 (Grant-in-Aid General) से Debit किये जाने की सूचना उपलब्ध कराई गयी थी, जो भारत सरकार के Ministry of Labour & Employment का Head of Account है।

उक्त राशि को बिहार सरकार के मांग संख्या-26 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्यशीर्ष-01-श्रम-लघुशीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास, समूह शीर्ष-केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, -उपशीर्ष-0405-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (विपत्र कोड 26-2230011120405) के विषयशीर्ष-31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद के अंतर्गत कराते हुए बिहार आकस्मिकता निधि (बी०सी०एफ०) के माध्यम से प्राप्त किया गया है। इस उपबंधित राशि के लिए, वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888/वि०, दिनांक 03.12.2024 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निम्न प्रकार से व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

3. (i) मुख्य शीर्ष-2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्यशीर्ष-01-श्रम-मांग संख्या-26, लघुशीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास, समूह शीर्ष-केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम, उपशीर्ष-0405-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (विपत्र कोड 26-2230011120405) के अंतर्गत:-

विषय शीर्ष	राशि रु० में
31- सहायता अनुदान	
31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	14,40,000
योग-26-2230.01.112.0405- बंधुआ मजदूर का पुनर्वास	14,40,000

(रुपये चौदह लाख चालीस हजार) मात्र।

4. विभागीय पत्रांक-34, दिनांक-17.06.2026 के आलोक में यह राशि केन्द्र सरकार द्वारा Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer, 2021 के तहत राज्य सरकार को उपलब्ध करायी गयी है।
5. इस राशि का आवंटन जिला पदाधिकारी, गयाजी को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला पदाधिकारी प्राप्त राशि की निकासी कर जिला स्तर पर गठित Bonded Labour Rehabilitation Fund में प्रतिपूर्ति करेंगे।
6. यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में उचित इकाईयों से विकलनीय होगा।
7. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, गयाजी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे।
8. उक्त राशि की निकासी संबंधित जिला के कोषागार से की जायेगी।
9. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
10. प्रस्ताव में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

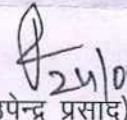
(उपेन्द्र प्रसाद)

विशेष सचिव।

ज्ञाप संख्या-06/एफ1-15/2026 श्र0सं0- 5825

पटना, दिनांक- 25/9/26

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/श्रमायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/प्रशाखा-02 (सरकार पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष) एवं आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(उपेन्द्र प्रसाद)
विशेष सचिव।